(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF NOTIFICATION NO. STV(TE)B(2)4/85.II
dated. /5-10-1987 AS REQUIRED UNLER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348
OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himschol Pradesh Department of Technical Education Vocational & Industrial Training.

No. STV(TE')B(2)4/85.II

Dated Shimla-171002, the 1/5 18 October, 1987.

### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by previse to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Himachel Predesh, in consultation with the Himachel Predesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Hand Printer in the Department of Tachnical Education, Vecational & Industrial Training, Himachel Predesh as/Annexure "A" attached to this notification:-

1.

2.

Short title & Commencement.

- (i) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Edicational, Vocational & Industrial Training Department. Recruitment and Prematical Rules, 1987 for the post of Hand Printer,
- (ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpotre, Himachal Pradesh.

Rules.

The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of Recruitment etc., for the post of Fant PrinterBshall be as specified in the Annexure "A".

Repeal and saving.

The Recruitment and promotion Rules for the post of Hand Frinter notified vide Industrial Department Notification No. 1-150/69-1 (Estt.), dated 23rd Jan., 1970 are hereby repealed.

Frovided that such repeal shall not effect the provious operation of the

Contd. P/2.

said Rules or anything done or any action taken thereunder.

By order

Attar Singh
Financial Commissioner Secretary
(Technical Education, Vocational &
Industrial Training) to the Government
of Himachal Fradesh.

Endst. No.STV(TE)B(2)4/85-II, Dated Shimle-2, the /5 / October, 1987.

- 1. Secretary, H.P., Public Service Commission, Shimla-171002 for information with three spare copies with reference to his letter No.6-3/71-PSC, dated 24-1-1987 and 3.6.1987.
- 2. The Joint Secretary(Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 3. All Administrative Secretaries, H.P., Government, Shimla-2, for information.
- 4. All Head of Departments in Himachal Pradesh.
- 5. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P., Sundernagar, Distt. Mandi for information and necessary action with ten spare copies.
- 6. The Deputy Controller, H.P., Press, Shimla-5 for publication in Rajpatra(Extra ordinary), 70 copies of the notification be supplied to this Department.
- 7. Deputy Legal Remeberancer, Himachal Pradesh, Government Shinland.

Under Secretary(TE) to the Government of Himachal Prodosha

\*D. DUTT

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Hand Printer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Technical Education Vocational & Industrial Training, H.P. Government.

1. Name of the Post:

Hand Printer.

2. Number of Post:

One(1)

3. Classification:

-Class-III (non-Gazetted)

4. Pay Scale:

510-940

5. Whether selection post or non-selection post.

Non-Selection.

5. Age for direct Recruitment: Between 18 to 32 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on xx adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/
Schedule Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public sector corporation and autonomous bodies who absorption in Public sector Corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies shall be Contd. on Page No. 2/-

XXXX

allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector corporation/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the Mx service of such corporation/autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector corporation/autonomous bodies.

Note-1

Age Limit for the direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertise for inviting applications or notified to employment exchanges as the case may be.

Note-2

Age and Experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case of the candidates otherwise will qualified.

7.Minimum educational & other qualifications required for direct reszuits:

#### ESSENTIAL:-

- i) Matric from a recognised University Board or equivalent.
- ii) National Trade Certificate in Bleaching dyeing and Printing or equivalent issued/recognised by NCVT.

#### DESIRABLE: -

- i) Knowledge of customs and manner and dialects of H.P.suitability for appointment in peculiar condition prevailing in the Pradesh.
- ii). Two years experience in the trade in an Industrial Training Institute and or in a reputed Industrial concern.

Continued on Page No.3/-

8. Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

Not applicable.

9. Period of probation, if any.

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method \*\* for recruitment, By direct recruitment. whether by direct recruitment or by promotion, deputation/ transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods.

11. In case of recruitment by promotion, deputation/ transfer, grades from which promotions, deputations. transfer to be made.

Not Applicable.

Note-1.

In all cases of promotion, MA adhoc service rendered in the feeder post upto 31.12.1983, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions:-

Continued on Page No.4/-

(a) that all in cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including adhec service rendered upto 31.12.1983 in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective post/category/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding provise, the person(s) Junior to him shall/be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

(b) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered in the post upto 31.12.1983, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Frovided that the inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account adhec service shall remain unchanged.

(c) Adhoc service rendered after 31.12.1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note: 2

Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the H.P. Fublic Service Commission, as and when the number of posts under Rule-2 are increased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.

As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential Recruitment -for direct recruitment:

A candidate for appointment to any service or post must be:-

- (a) A citizen of India, or
- (b) A subject of Nepal, or
- (c) A subject to Bhuten, or
- (d) A Tibetan refugee who come/over to India before the Ist January, 1962 with the intension of permanently settling in India, or Contd. on P.NO. 5/-

-:5:-

(a) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Siri Lanka, East African countries of Kanya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar, Rx Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intension of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories(b),(c),(d)and(e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govte of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Seryice Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment. Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the H.P.Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which the will be determined by the Commission other recruiting authority, as the case may be.

6. Reservation,

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes other categories of persons issued by the Govt. of India from time to time.

17. Power to relax.

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be ordered for reasons to be recorded in writing and in consulation with the H.P.Public/Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category Mr of persons or post.

Kenzingakankkingx

## हिमानल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वै औधोगिक प्रशिक्षण विभाग ।

संख्याः -रस०टी०वी०(टीई)बी(2)4/85-11

तारीबः - 15 10

# अधिसूचना

हिमानल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुन्देद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमानल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमानल प्रदेश तक्तिकी शिक्षा व्यावपायिक सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में हस्त मुद्रक पद की बाबत संलग्न अनुनन्ध 'अ' के अनुसार निम्नलिजित भार्ती स्वं प्रोन्नित नियम बनात हैं, अर्थात: -

- (।) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:
- (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वं औषोगिक प्रशिक्षण विभाग . हस्त मुद्रक वर्ग-।।। अराजपत्रित पद के भर्ती स्वं प्रोन्नित नियम । 987 है।
- (।।) प्रे नियम इस अधिष्वना के जारी किये जाने की तारीख से प्रवन्त होंगे।
- (2) पदीं की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, 2. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वं औदोगिक प्रशिक्षण विभाग में हस्त मुद्रक के पटों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अहंतार और भर्ती की पदित रेसी होगी जैसी उपावन्थ 'क' में विनिदिष्ट है।
- (3) निरसन और व्यादिति:

परन्तु प्रेने निरसन से , त्रियत निसमी के पूर्व प्रवर्तन या उनके तत्रधीन को गई निस्ति वाल सा कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

आदेश दारा,

अत्तर विंह, वित्तागुत हुवें मुखित तक्योको शिक्षा व्यावसारिक हुवें जासीगढ़ प्रशासन विभाग हिमान्स प्रदेश सरकार ।

होस्याः - स्स०टी०वी०(टीई हो(2)4/85-11, तारीष हामना-2 45 है। एक प्राप्त निम्नानिकत का सुसनार्थ सर्व उचित कार्रवाई ने निस् प्रेशित :-

स्नस्त्रम् चिद्य/ संयुक्त सन्ति/उप सनिव/सवर सचिव, हिमानल अवेरा सरकार

समस्त दिभागांध्यस हिमान्त प्रदेश ।

नियम्बर मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला को निवेदन है कि वे राजपत्र अस्तारण में प्रकाशित कर्ष और इस की 75 प्रतिया इस विकार को भेजी ताकि नियमी की प्रतिया विधान सभा को भेजी जा सके।

निर्देशक तकनीकी शिक्षा, व्यातसायिक एवं केयोगिक प्रशिक्षण विवासन प्रदेश सुन्दरनगर जिला मण्डी (10 प्रतिया)

उप विधि, परामश्मी, हिमार्चल प्रदेश सरकार, शिमतान्थ सहायक विभाषी प्राध्यकार (हिन्दी) हिप्प्र० समित्रह्म ।

> ज्वर सचिव (तवनीती शिक्षा ) हिमाचल प्रदेश सरकार

तक्नीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औधोगिक प्रशिक्षण किमा हिमाचल प्रदेश में हस्त मुद्रक वर्ग-3 अराजपत्रित के पद के लिये भर्ती एवं प्रौन्नित निष्मः -। पद का नामः

हस्त मुद्रक

पदीं की संख्याः एक (1)

वगीकरणः वर्ग-तीन (अराजपित्रा)

वेतनमानः 510-940

वयन पद अथवा अवरान पद, अचयन ।

सोधी भर्ती किए जिन वाले व्यक्तियों के लिये आयु: 18 से 32 वर्ष ।

नियुक्त सहित, पहले ही सरकार को सेवा में रत अध्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। पर-तु सीधी भर्ती के लिए आधु सीमा तदर्थ या सीवदा पर

अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिवादय हो गया हो तो वह तदर्थ या सीवदा के परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर निस्कृत किया गर अधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होंगा !

तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ सकेंगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुजिय है।

निकाधीं के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेम्टर निगर्नों तथा स्वायत निकार्यों के पान्तु यह और भी कि पिलाक सेंग्टर निगमीं तथा स्वावता प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेस्टर निगमीं/स्वायत निकायों में आनेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु भूम मिं ऐसी ही रिसायत दो जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक हैक्टर निगमीं तथा खायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवन्द की नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमी/स्वायत निकावीं जो प्रारम्भिक गठन के परचात ऐसे निगमीं/स्वादात निकारों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ध के प्रथम दिन े की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करते के लिए यथास्थिति पद, विज्ञाधित या निर्धाजनालयाँ की लिए अधिस्चित किए जाते हैं।

अन्य सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भती के लिए आयु सीमा और अनुभव आधीग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाँ के लिए अपेक्षित न्यूनतम शक्षिक और अन्य अहंताएं:

अनिवार्य (।) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ वीर्ड ते मंद्रिक या इसके समत्ह्य ।

(2) एन०पी०वी०टी० द्वारा मान्यता प्राप्त, प्रदान विद्या गया कड़वाद्ध, रंगाई और क्याई में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्रया इसके समत्हया

टिप्पणी-2

सीमा

## वांकनीय अहंताएं

- (1) औद्योगित प्रशिक्षण संस्थान और या प्र-तिष्ठा प्राप्त संस्थान में व्यवसाय में 2 वर्षा का अनुभव
- (2) हिमाचल प्रदेश को इदियाँ, रोतियाँ और वोलियाँ का जान और प्रदेश में विधमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्त के लिए उपयुक्ता ।
- 8 सिधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों आयु: नहीं । के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहताएँ प्रोन्नित की दशा में लागू होंगी मा नहीं : शैक्षिक अहंताएँ नहीं
- 9 परिविधा की अवधि , यदि जोई हो तो: दो वर्ष, जिसका एक वर्ष ऐसी और श्वधि के लिए

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और शवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सूक्ष्म प्राधिकारी विशेष परिस्थितयों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

सीधी भर्ती दारा ।

10 भर्ती की पद्भितः भर्ता सिधी होगी या प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण दारा और विभिन्न पद्भित्यों दारा भरी जाने वाली शाक्तियाँ की प्रतिशत्तताः

मैं लागू नहीं।

।। प्रोन्नति, प्रतिनिधुक्ति या स्थानान्तरण को दशा में अति । जिसमें प्रोन्नति प्रतिनिधुक्त या स्थानान्तरण किया जायेगा ।

पणि-। प्रोन्नित के सभी पामलों में पद पर निर्मित नियुक्ति से पूर्व सेमरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदथे सेवा यदि कोई हो , प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए जिस निलित शर्तों के अधीन रहते हुये, हिसाव में तो जाएगी:-

(क) उन सभी मामलों में ... जहां कोई निष्ट व्यक्ति संभारण पड़ में अपने कुल सेवाकाल (31-12-1983 तक की गई चुल तहथं सेवा की शामिल करके) के आधार पर उपरदूरत निर्देष्ट उपन धी के बारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे विरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जारींगे और विचार करते समय कनिष्ट किस से उपर रखे जारींगे।

: 3:

परन्तु प्रोन्नति है लिए विचार विच ताने ताने जन विवाधिकारियों को तह से का तीन वर्ष न्यूनता अहैतार ने वा वा व के नती एंट प्रोन्निति निष्यों वे विहित तेता, जो नी का हो, होनी चाहर

पान्तु गृह और कि जहां ोई व्यक्त एंगा। पान्तुक हो अपेक्षताओं के बारण प्रोन्नित के विचार के लिये अपाह हो जाता है वहां उसरे किनस्ट व्यक्ति भी हैसी प्रोन्निक के विचार के लिए अपात्र भारा जारगा । -

इसी प्रकार, सार्यकारण दे सनी भागती हैं हो। पद पर नियुक्त है पूर्व 31.12.1983 तक दी मूर्व तदर्थ ेला यदि कोई हो, रियाकाल के लिए हिमाल में लो जाएगी। (1)

पान्तु स्थाधीवरण के परिणानस्वरूप तुवर्ध रोता को हिमान में तेकर पारस्पारिक केळता, अपरिकतित रहेगी। (刊)

31.12·1983 के पश्चात की गई तदर्भ ेटा प्रोन्नित/स्थाणीकर के प्रयोजन के तिस हिसाव में नहीं तो जारू है।

जब धुनी नियम 2 वे अनुसार पदीं में परोत्तरी होती है ते नियम 10 अग 11 के उपजन्ध, सरकार द्वारा लोक रेटा, आयोग वे परानार्थ ने पुनर सित किस जारगें। टिपाणी

वैवा वि राजार दगा सिय-भय यदि विभागीय प्रोत्नति समिति विध्यान हो ती उहारी सर्वनाः 12.

जेसा ि विश्व द्यारा कोशित ह भती वरने हैं जिन परिस्थितियों में किश्वल प्रदेश लोक, सेदा आयोग से पराशशं किया 13. जारगा।

कियों के एवं में निप्ति ते लिए संस्था नि नलिया अध्या होना चाहिए:-सीधी भूती किए जाने दाले 140

> भारतं जा नागरिक श (西) नेपत जी प्रजा र

भूतन भी प्रजी र

नियानी शरणा जो एक जनवारी 1962 के दो नारि में स्थारी विश्व के जोक के क्वार के लिए आया ही । (刊) (ध)

भारतीय ज्या हा और व्यक्ति जिएने, प्रांतिका, एते अप्रोता प्रांतिका, एते अप्रोता प्रांतिका, एते अप्रोता के देशी या जनया, स्मानका, विज्ञानिया स्मानक जोक देजीनिया प्राहित के समिन शोर जजीवार, प्राहें (3)

जौविया, नालवा, जेयर और इंशापिया है नारत में साही निया है आसा है प्रवात विया हो :

परन्तु प्रवर्ग(छ)(ग),ध) और (ह) है अन्यार्थ है। कहित होगे जिनके पक्ष मारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमण-पत्र जारी

हमें अध्यार्थी को, जिसके ामले में पात्रता का प्रभाण-मा आवश्यक हो, हिमान्स प्रवेश लोक ऐका आधीग था अन्य सर्ती प्राधिवरण द्वारी रंचालित परीक्षा । साक्षालार में प्रवेश किया जा सकेगों । किन्दु को निर्द्रमें वा प्रस्ताव, सारत सरकार द्वारा को पात्रता का अपैक्षित प्रभाण-पत्र जा। किए जाने के प्रश्चात ही दिया जारगा ।

15 ्रीधी भर्ती दवारा पद पर नियुक्ति व लिस यथन ।

उस्त हैवा निर्देश है। वि साला द्वारा विस्ता अस्ति अतिथे का अस्ति अतिथे का प्रवाद का अस्ति का

16 आसिण

17 शिथल वाने वी शक्ति: